महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक–799 / कु0का0 / 2026 दिनांक–19 / 01 / 2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषयः–प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5 / 2025 ''सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2956 / सत्तर–3–2025, लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 तद्क्रम में निदेशक, (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास / 2627 / 2025–26 दिनांक 30 / 12 / 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5 / 2025 ''सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के संबंध में परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं जिसके क्रम संख्या 2(ii) (c) एवं 2–(vi) (d) के क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्रांक 7827 कु0का0 / 2025 दिनांक 30.12.2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त के क्रम में जिन महाविद्यालयों द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश का पालन नहीं किया गया है। उन महाविद्यालयों को 02 कार्यदिवस के अन्दर दिए गए गॅूगल लिक के माध्यम से शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए संलग्न (SOP) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा लें अन्यथा की स्थित में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार रु0 5000 / –का अर्थदण्ड लागू होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

गॅूगल लिक–

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemFllL7m27GfxZt2-EVIMBcMRAP9NcqXmMPT04pVhRMDuQAQ/viewform?usp=dialog

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

01. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. निदेशक, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।
05. वेबसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित है, कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email.registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांकः–7827/कु0का0/2025 दिनांकः 30/12/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषयः– प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस" बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन पत्र संख्या–2956/सत्तर–3–2025 लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 तद्क्रम में निदेशक, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/2627/2025–26 दिनांक 30/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस" बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के संबंध में परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं जिसके क्रम संख्या 2(ii)(c) एवं 2–(vi)(d) के क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए संलग्न (SOP) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– निदेशक, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा)उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–डिग्री विकास/2627/2025–26 दिनांक 30/12/2025

विषय :मा0 उच्च न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइज" बनाम अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 22.08.2025 एवं दिनांक : 07.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3113/सत्तर–3–2025 दिनांक : 29.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 उच्च न्यायालय में योजित सु–मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0–5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइज" बनाम अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 22.08.2025 एवं दिनांक : 07.11.2025 के अनुपालन कराये जाने के संबंध में है। सूच्य है कि सचिव, पशु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के फाइल नं0–AC–02017/22/2025–AWBI दिनांक : 28.11.2025 के साथ संलग्न विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये है जिसके क्रम संख्या–2(ii)(C) एवं 2-(vi)(d) के क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

अतएव संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों हेतु नोडल अधिकारी नामित कर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या सहित नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित सूचना एवं प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

30/12/25
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0 प्रयागराज।

पृष्ठांकन–डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ0(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0 प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–1

संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु नामित नोडल अधिकारी

कमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	संस्था का नाम	संस्था द्वारा नामित नोडल अधिकारी	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6

प्रमाण पत्र

मेरे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त संस्थानों में सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइज बनाम अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 22.08.2025 एवं दिनांक : 07.11.2025 के अनुपालन में नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है तथा संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रकिया (SOP) का अनुपालन कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

हस्ताक्षर

संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/
कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

29-12-2025, 13:34

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण/आज ही

संख्या-3113 /सत्तर-3-2025-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र. प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3   लखनऊः दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0-5/2025 ''सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं दिनांक 07.11.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-18 भा0स0/9-8-2025-10ज/2023 टी0सी0, दिनांक 08.12.2025 (छायाप्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र में सचिव, पशु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के फाइल नं0-AC-02017/22/2025-AWBI दिनांक 28.11.2025 के साथ विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है। सूच्य है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2025 को अपराह्न 05:00 बजे बैठक आहूत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी कार्यवाही की सूचना आज ही अपराह्न 02:00 बजे तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 29-12-2025
13:26:58
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

डा0 आरती सिंह
29/12/2025

Scanned with OKEN Scanner

मा0 उच्चतम न्यायालय का प्रकरण

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-18भा.स./9-8-2025-10ज/2023टी.सी.
लखनऊ: दिनांक08 दिसम्बर, 2025

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग आवास एवं शहरी नियोजन, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, उच्च/प्राविधिक/व्यावसायिक /माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

संख्या 1677/VIPPSHED/2025
दिनांक 11.12.2025

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन(सिविल) नं.-5/2025 ''सिटी हाउण्ड वाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस'' बनाम अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं दिनांक 07.11.2025 के अनुपालन कराये विषयक सचिव, पशु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के फाइल न0-AC-02017/22/2025-AWBI दिनांक 28.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पशु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्न कर संबंधित विभागों/प्राधिकरणों को परिचालित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अत: सचिव, पशु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के फाइल न0-AC-02017/22/2025-AWBI दिनांक 28.11.2025 के साथ संलग्न एस0ओ0पी0 की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया संलग्न (SOP) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त

सचिव

08.12.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

11/12/25
संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. सचिव, भारतीय जीव जन्तु, कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. निदेशक पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
9. निदेशक, खेल, उ0प्र0, लखनऊ ।
10. गार्ड फाइल ।

1872/S(AT)/25
VS

12-12-25
(अमृत त्रिपाठी)
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

5716/VS(T)/2025
JS/S-3

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
08.12.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

16.12.2025

ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway
NH-2, Ballabhgarh, Haryana-121004
Email: support-awbi@gov.in : Website: www.awbi.gov.in

File No.: AC-02017/22/2025-AWBI

Date: 28.11.2025

To,

The Principal Secretary, Dept of Urban Development
of all State Governments and Union Territories

Subject: **Circulation of Standard Operating Procedure (SOP) in compliance with directions of the Hon'ble Supreme Court of India dated 07.11.2025 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025- regarding**

Sir,

The Hon'ble Supreme Court of India, vide its order dated 07.11.2025 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025 titled "City Hounded by Strays, Kids Pay Price", has issued directions relating to the prevention of dog-bite incidents and the management of stray dogs within institutional premises, including educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots, and railway stations.

2. The Hon'ble Court, in Paragraph J on Page 26 of the aforesaid order, has further directed the Animal Welfare Board of India to frame and circulate detailed Standard Operating Procedures (SOPs) to ensure a uniform national framework for prevention of dog-bite incidents and management of stray dogs in both public and private institutional areas.

3. In compliance with these directions of the Hon'ble Court, the SOP has been prepared and is hereby circulated for necessary implementation (copy enclosed).

4. It is requested that the following may kindly be ensured:
   (i). Circulation of the enclosed SOP to all concerned State departments, municipal bodies, district administrations, educational institutions, hospitals, public transport authorities, sports authorities and other relevant institutions.
   (ii). Uniform implementation of the SOP across the State/Union Territories.
   (iii). Monitoring of compliance at the ground level.

5. As the matter is under continuous monitoring of the Hon'ble Supreme Court, prompt compliance is required.

Yours sincerely,

(Dr. S.K. Dutta)
Secretary

Enclosure(s):
1. Standard Operating Procedure (SOP) on Prevention of Dog-Bite Incidents and Management of Stray Dogs in Institutional Premises.

श्री संदीप
8-12-25

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
(Department of Animal Husbandry and Dairying)

Dr. Muthukumarasamy B.
Joint Secretary and Chairman, AWBI

File No.: AC-02017/22/2025-AWBI

To,

The Chief Secretary
All State Governments and Union Territories

Subject: **Circulation of Standard Operating Procedure (SOP) in compliance with directions of the Hon'ble Supreme Court of India dated 07.11.2025 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025- regarding.**

Sir/Madam

The Hon'ble Supreme Court of India, vide its order dated 07.11.2025 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025 titled "City Hounded by Strays, Kids Pay Price", has issued directions relating to the prevention of dog-bite incidents and the management of stray dogs within institutional premises, including educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots, and railway stations.

2. The Hon'ble Court, in Paragraph J on Page 26 of the aforesaid order, has further directed the Animal Welfare Board of India to frame and circulate detailed Standard Operating Procedures (SOPs) to ensure a uniform national framework for prevention of dog-bite incidents and management of stray dogs in both public and private institutional areas.

3. In compliance with these directions of the Hon'ble Court, the SOP has been prepared and is hereby circulated for necessary implementation (copy enclosed).

4. It is requested that the following may kindly be ensured:

(i). Circulation of the enclosed SOP to all concerned State departments, municipal bodies, district administrations, educational institutions, hospitals, public transport authorities, sports authorities and other relevant institutions.
(ii). Uniform implementation of the SOP across the State/Union Territories.
(iii). Monitoring of compliance at the ground level.

5. As the matter is under continuous monitoring of the Hon'ble Supreme Court, prompt compliance is required.

Yours Sincerely

27/11/25

(Dr. Muthukumarasamy B.)

Enclosure(s):

1. Standard Operating Procedure (SOP) on Prevention of Dog-Bite Incidents and Management of Stray Dogs in Institutional Premises
2. Order dated 7.11.2025 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025.

Scanned with OKEN Scanner

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR PREVENTION OF DOG BITES AND MANAGEMENT OF STRAY DOGS IN INSTITUTIONAL PREMISES

1. BACKGROUND

The Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025 titled "In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price", vide order dated 7th November, 2025, expressed grave concern over the alarming rise in dog-bite incidents within institutional areas across India, particularly in public areas including educational institutions, hospitals, parks, sports complexes, railway stations, tourist sites, religious places and bus stands/depots including Inter-State Bus Terminals [hereinafter referred to as the "Institutional Premises"], where the safety of children, patients, commuters, and other members of the public are reportedly compromised.

Pursuant to Direction 25(J) contained in Part III of the said order, the Hon'ble Court directed the Animal Welfare Board of India to formulate and issue detailed Standard Operating Procedures (SOP) for the prevention of dog-bite incidents and the management of free roaming dogs in institutional premises, to be uniformly adopted across all States and Union Territories within four weeks.

This Standard Operating Procedure is therefore formulated by the Animal Welfare Board of India in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court of India dated 7 November 2025.

2. URGENT STEPS REQUIRED TO BE TAKEN BY THE JURUSDICTIONAL MUNICIPAL BODIES/ AUTHORITIES

i. Shelter Management for the stray dogs

a. The Jurisdictional municipal authorities or District Authority, as a first step, should identify the existing shelters and areas where new shelters could be established within their jurisdiction.

Scanned with OKEN Scanner

b. The shelters established by the Municipal Authorities should be in compliance with the rules, advisories and modules issued by the Animal Welfare Board of India time to time.

c. Once, the shelters for stray dogs have been identified and established, the Municipal Authorities, shall maintain the shelters in the following manner to regulate the population.

(i). **Proposed Area for the shelter:** A shelter must comply with the permissible number of dogs as per the area of the shelter, which shall be as below:

Area of Shelter	Number of Dogs to be maintained
70 ft x 40 ft including Kennel and Small facilities.	100 Dogs
157 ft x 90 ft including Kennel, kitchen and Staff Room.	500 Dogs
221 ft × 127 ft including Kennel and Small facilities.	1000 Dogs

*A schematic diagram for a 100dogs,500dogs and 1000dogs shelter is attached at Annexure I,II,III.

(ii). **Feeding of Dogs within the shelter:** That the dogs must be responsibly fed within the shelter, depending on their weight, size and other attributes. The same is stipulated later in this SOP for reference.

(iii). **Waste Management:** The number of caretakers to be assigned to each shelter as per the requirement for management of waste. The shelter must be cleaned twice every day to avoid spread of infection and better management of waste.

ii. **Removal of dogs from Public Institutions**

a. In view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 07.11.2025, all the State Governments and Union Territories shall through their

Scanned with OKEN Scanner

respective local / municipal authorities / District authority, identify all government and private educational institutions, hospitals (including district hospitals, primary health centres, and medical colleges), public sports complexes or stadia, bus stand/ depos and railway stations situated within their territorial limits. It is also advised to identify other public places such as religious places, children's parks, airports, helipads, seaports, tourist sites and recreational spots.

b. Once the areas are identified by the respective municipal authorities, the concerned management shall ensure that the stray dogs do not ingress in that area. The concerned management is also responsible to secure the institution by adequate fencing, boundary wall, gates or any other infrastructure to avoid entry of the stray dogs within the area.

c. In cases of educational institutions, hospitals, sports complexes, tourist sites, religious places, airports, helipads, seaports and recreational spots, the concerned management shall identify a Nodal Officer, who's responsibility will be to ensure that no stray dog enter or inhabit within the premises of the area and proper waste management should be done in and around the area. In order to effectively implement the aforesaid direction, it must be ensured that the perimeter of the area is bounded by fence of not less than 6 ft. height. Along with securing the perimeter of that area, the concerned management must also make sure that the entry and exit points as well as the main gate of that area is also properly secured to avoid ingress of the stray dogs.

d. While exercising the aforesaid direction, concerned management with the assistance of local/municipal authorities shall remove all the stray dogs found within the premises of any such area and shift them to designated animal shelters. All the dogs must be taken out from the areas to be sterilized, vaccinated and then kept in a shelter either maintained by the Municipal Corporations or in coordination with the local animal welfare organizations, gaushalas, pinjrapoles or any person organizations volunteering for keeping those dogs.

Scanned with OKEN Scanner

e. The animal welfare organizations and NGOs may volunteer for technical support, capacity building and other resources towards the construction, and maintenance of animal shelters and community kennels, in partnership with local bodies and institutions.

f. The local/ municipal bodies shall facilitate the establishment of community kennels for which financial contribution can be jointly mobilised from interested Institutions, NGOs and other stakeholders willing to support the creation and development of community kennels and shelters.

iii. **Sterilization and Vaccination:**

a. The Jurisdictional Municipal Corporation or Local Bodies as the case may be, after removing dogs, shall ensure all the dogs have been sterilized before putting them in the shelter. In this regard, if the sterilization center is not available, they may take the help of the local veterinary hospitals under the administrative control of the Animal Husbandry Department or take any help of civil societies or organizations or trust volunteering for the sterilization programme. Sterilization and capture methods must comply with the Animal Birth Control Rules, 2023 and Revised Animal Birth Control Module, 2025.

b. The concerned authorities should also focus on the pack of dogs surrounding the areas. In order to restrict the entry of dogs into the areas and control their population, the pack of dogs, more particularly male dogs to be sterilized on priority along with puppies after the age of 6 months.

c. The Sterilized dogs, after their recovery, shall be vaccinated against rabies. The rabies vaccination shall continue in every year at least for five years or till protective titre is achieved.

d. Once, the dogs have been sterilized and vaccinated, the dogs shall be sent to shelters either established by the Municipality or private trust, societies, organizations, gaushalas, pinjrapole those have facility to keep dogs for remaining period of their life. The institutions

Scanned with OKEN Scanner

may volunteer for establishing a shelter within its premises on its own expenditure, which are having more than two acre of land and having a free space of at least 6000 sq ft. The area and number of dogs within the shelter shall be within the permissible limit as mentioned above.

c. The Local/ Municipal Authorities shall ensure that the dogs removed from the areas to be sent to only the designated shelters.

iv. **Infrastructure for Shelter and their management:**

For sheltering of stray dogs, the Shelters shall be constructed keeping in mind of the following minimal infrastructure:

a. Fencing of at least six feet height.

b. Veterinary care (may be built in consultation with the Animal Husbandry Department, if no veterinary hospital is available nearby). For treatment of sheltered dog, the shelter management may also call mobile veterinary services through toll free number 1962.

c. The routine handling and management of Dogs in the shelter should strictly follow humane practices as described in the Animal Birth Control Rules, 2023 and Revised Animal Birth Control Module, 2025.

d. Open area for dogs with demarcation so that entire family or pack of dog to be kept at one place. A night shelter in each dog shelter may be established.

e. Watering and feeding arrangement

f. Each shelter house should be manned with the following category of personal:

(i). Watchman for 24 hours

(ii). Cleaner as per need.

(iii). Caretaker for feed and other management activities round the clock depending on the number of dogs in the shelters.

Scanned with OKEN Scanner

(iv). Record keeper for feeding, medicine, inventory etc.

g. **Feeding of dog in the shelter:** The shelter management shall follow the following feeding schedule for dogs sheltered:

Category	Age	Intervals of feeding
Puppies	Newborn to 2 months	4–6 small meals/day
	2–6 months	3 meals/day
	6–12 months	2–3 meals/day
Adult Dogs (1 year and above)	Medium & large breeds	2 meals/day
	Small breeds	2–3 meals/day (small dogs use energy faster)
	Senior Dogs	2 meals/day (provide Softer or easily digestible food if needed)

h. **General Rule for feeding:** Dogs eat around 2–3% of their body weight per day (including all food—dry, wet, or homemade). Approximately, the daily feeding chart based on the body weight should be as under:

Dog Weight	Food Quantity/Day
5 kg	100–150 grams
10 kg	200–300 grams
20 kg	400–600 grams
30 kg	600–900 grams
40 kg	800–1200 grams

i. The following practice should be adopted for maintaining the shelter hygiene in order to prevent spread of any diseases. –

(i). Choose a consistent feeding place: Feed your dog in the same quiet place every day and use clean bowls for food and water.

(ii). Wash food bowls daily and Keep water available at all times (24×7).

(iii). Measure the food based on the dog's weight and diet. Avoid free feeding (leaving food out all day), especially for adult dogs.

(iv). Give food at fixed times; dogs respond well to routine. Remove leftover food after 20–25 minutes.

(v). Transition new foods slowly: When changing diet, mix new food gradually over 5–7 days.

Scanned with OKEN Scanner

(vi). Separate kennels for diseased animals to be maintained.

v. **Feeding of stray dogs and Waste Management:**

The Hon'ble Supreme Court has noted that the one of the underlying causes of the problem of stray dog is *"improper disposal of food waste in an around of the public institutions"*. Since the dog is a scavenging animal, any food item which is disposed in open areas shall attract the neighbouring dogs, even if the dogs are removed from such areas. These dogs will then find entry in the areas.

Therefore, the concerned management and its Nodal Officer in coordination with the jurisdictional local/ municipal authority, shall ensure that:

a. Food operators/ vendors selling food in and around 100 meters of the areas shall establish closed waste disposal pits/ bins to dispose of waste. The Food vendors must also ensure that no dogs are fed near or around their food stall.

b. The Local/ Municipal authorities shall ensure daily cleaning of waste materials from all the vending regions around the areas. A helpline for waste disposal also to be established by the Municipal bodies.

c. The citizens should be made aware of waste management in and around such areas in order to avoid the return of dogs to such areas. Massive campaign should be carried out for responsible waste disposal within the public, children, shopkeepers, customers and other citizens. The citizens should also be made aware that feeding of dogs must only take place at the designated feedings spots.

d. **Permission to feed in the shelter by compassionate persons:** Keeping large number of dogs in the shelter shall require large quantum of fund. The Municipal Corporations, State Governments and Union Territories shall have to arrange resources for daily feeding of stray dog. The expenditure for each dog towards cost of feed and other ancillary charges cannot be calculated as it varies depending on the many things. Therefore, the State Animal Welfare Board may volunteer to determine the feeding cost. In this regard, the cost prescribed under the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case

Scanned with OKEN Scanner

Property Animals) Rules, 2017 may be consulted to fix the cost of feeding. The source of funding and cost towards running of shelter may also be decided by the Concerned Government.

vi. **Awareness about waste management, responsible feeding and adoption of stray dogs:**

a. The Local/ municipal authorities shall make the citizens aware of the importance of waste management and responsible feeding to control population of dogs in the area.

b. There must be video clips to be displayed at all prominent places such as multiplexes, shopping complexes and other recreational areas to make citizens aware about proper waste disposal and also responsible feeding of the stray dogs.

c. The citizens must also be guided towards adoption of stray dogs which helps in controlling and managing the population of stray dogs in and around the areas.

d. **Awareness creation to prevent dog bites:** The Nodal officer in each of the institution shall create awareness amongst the children, students and personal working in the institution. The Institutions may develop a poster or standee depicting the following information about the behaviour of a dog:

(i). **Read the Dog's Body Language:** Learn to recognize signs that a dog is uncomfortable, scared, or ready to bite. If dog is growling or showing teeth, ears pinned back, Tail tucked between legs, Stiff body, avoiding eye contact, Lip licking or yawning (stress signals)- give the dog space immediately.

(ii). **Do Not Approach Unfamiliar Dogs:** Never rush toward a strange dog, always let the dog come to you, ask the owner before touching or petting.

(iii). **Avoid Disturbing a Dog:** Do not wake a sleeping dog suddenly, touch a dog while it is eating, Interrupt while chewing a bone or playing with a toy, compete for food or toys.

(iv). **Teach Children Safe Behavior:** Children should pet dogs gently, never pull ears, tail, or fur, not hug or ride the dog, avoid face-to-face contact, stay calm around dogs

Scanned with OKEN Scanner

(v). **Stay Calm and Move Slowly:** Dogs react to fast or threatening movements. If a dog approach stand still, avoid direct eye contact, do not scream or run, let the dog sniff and lose interest.

(vi). **If a Dog Attacks:** Put a bag, stick, or jacket between you and the dog, protect your face, chest, and neck. If knocked down, curl into a ball and cover your head and neck with your arms.

(vii). **Leash and Training for Pet Dogs:** The dog owner should keep dogs leashed in public, train basic commands: *sit, stay, leave, come*, socialize dogs with people and other animals, spaying/neutering may reduce aggression, address anxiety or fear behavior early with a veterinarian or trainer.

(viii). **Responsible Environment:** Keep stray dogs away from children, secure garbage and food waste to avoid attracting strays, Report aggressive stray dogs to local authorities.

(ix). **Vaccination:** Ensure dogs receive regular rabies vaccination, helping protect both the dog and public health.

c. **Measures to be taken in case dog bite happen:** Ministry of Health and Family Welfare has issued detailed guidelines for management of various degree of dog bite. The information is available at www. rabiesfreeindia.mohfw.gov.in. They have also established Helpline No. 15400 for information.

vii. **Monitoring and evaluation:**

The entire SOP should be implemented by the concerned authorities which will be monitored by the District Magistrate.

viii. **Reporting:**

The status of the implementation of SOP shall be reported to the Animal Welfare Board of India through respective State Government Departments.

*****

Scanned with OKEN Scanner

Annexure I

Schematic Layout of a dog shelter (100dogs capacity)

Recommended full-site plan (70 ft × 40 ft = 2,800 ft²) — kennels + small facilities

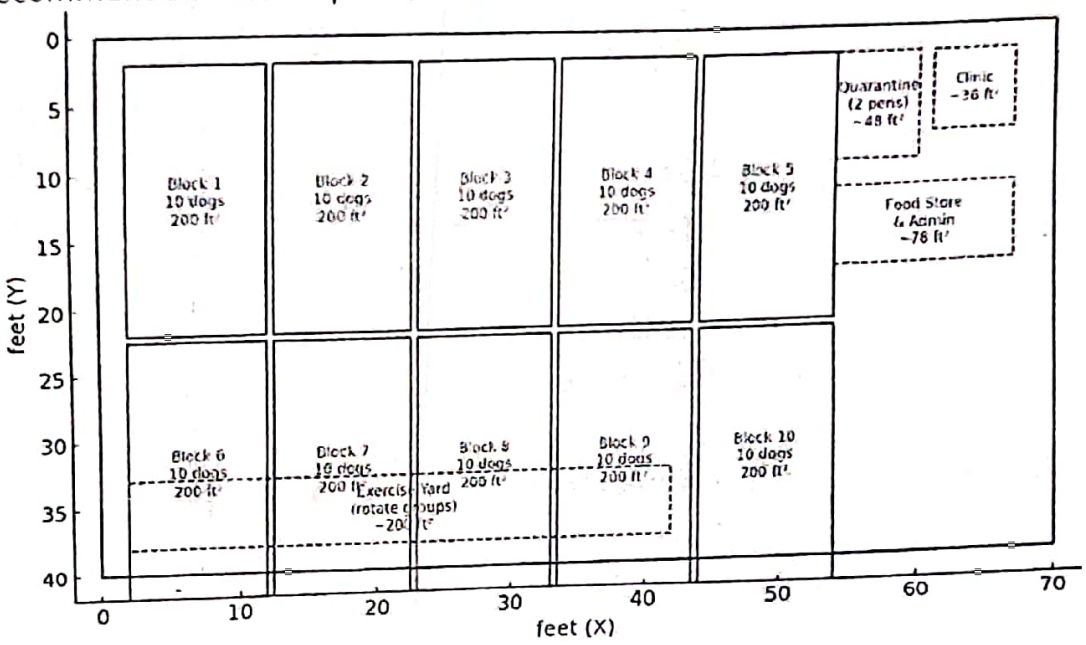

Scanned with OKEN Scanner

Annexure II

Schematic Layout of a dog shelter (500dogs capacity)

Recommended full site plan 500 dogs - Kennels + Small Facilities

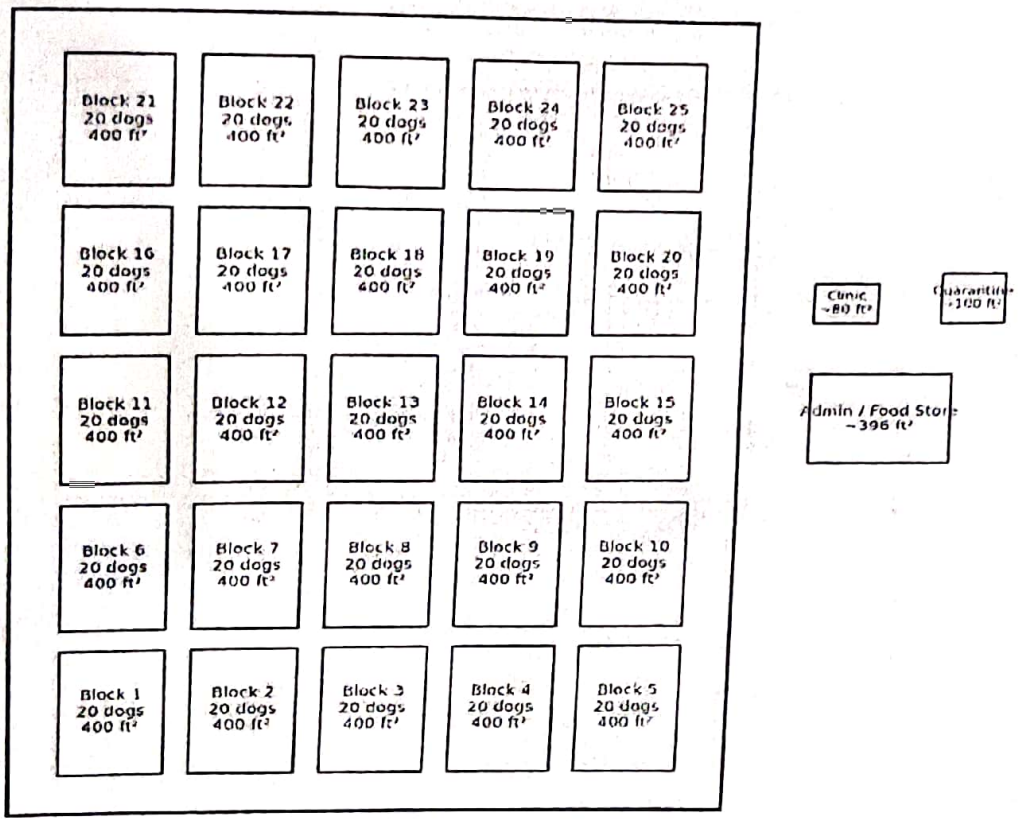

Scanned with OKEN Scanner

Annexure III

Schematic Layout of a dog shelter (1000dogs capacity)

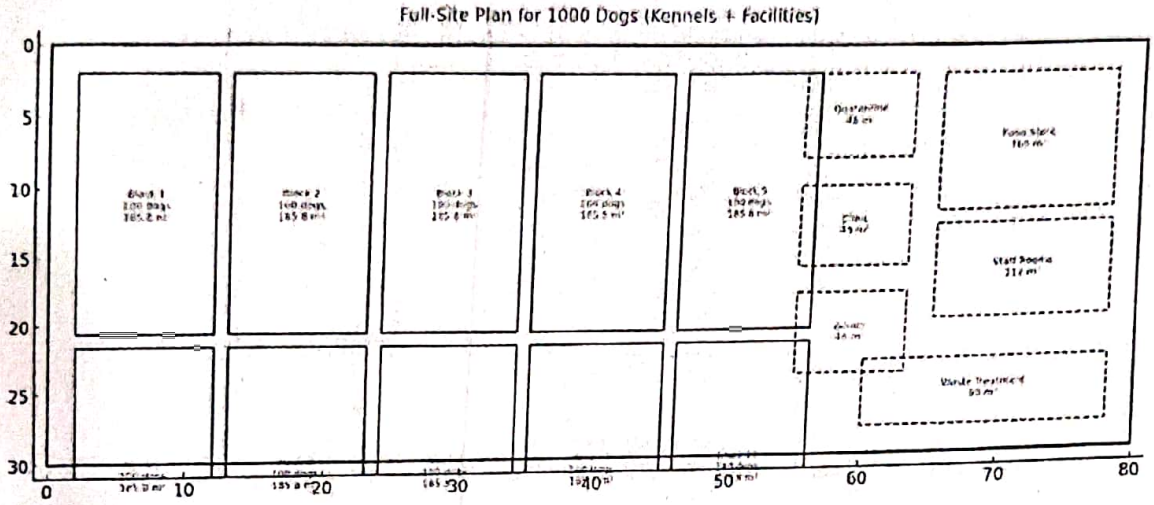

महत्वपूर्ण
संख्या- 2956 /सत्तर-3-2025

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
3. **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।
4. **विशेष कार्याधिकारी/**
राज्य सम्पर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक : 03 दिसम्बर, 2025**

विषयः प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0-5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस" बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2715/9-8-2025-10ज/2023 टी.सी. दिनांक 28 नवम्बर, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश में निराश्रित श्वानों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0-5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस" बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कार्य सूची में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या.....1121/MPPSHED/2025
दिनांक.....28.11.2025.....

<u>बैठक दिनांक 03.12.2025/महत्वपूर्ण</u>

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-2715 /9-8-2025-10ज/2023टी.सी.
लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2025

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग
आवास एवं शहरी नियोजन, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग,
ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, उच्च/प्राविधिक/व्यावसायिक
/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

प्रदेश में निराश्रित श्वानों के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित **सु-मोटो रिट पिटीशन(सिविल) नं.-5/2025 "सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस" बनाम अन्य में** मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं दिनांक 07.11.2025 के अनुपालन कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2025 पूर्वाह्न 11.30 बजे, मुख्य सचिव सभागार, लोक भवन में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी है। बैठक का लिंक निम्नवत् है:-

तिथि: 03 दिसंबर , 2025
समय: 11:30 पूर्वाह्न
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84776742401?pwd=oL5A1nGUhSBi0iXdFyYqDu3aGy2x0Y.1
Meeting ID: 847 7674 2401
Passcode: 102282

बैठक 03/12/25 11:30 बजे

2. अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बैठक में संगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:यथोक्त</u>

सचिव

28/11/2025

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव.

28.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

-2-

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. सचिव, भारतीय जीव जन्तु, कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. निदेशक पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
9. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
11. निदेशक, खेल, उ0प्र0, लखनऊ ।
12. सुश्री गौरी मौलेखी, सदस्य, पीपुल्स फॉर एनिमल, नई दिल्ली।
13. टीम लीडर, एस.पी.एम.यू., नगर विकास विभाग।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
28.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं.-5/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 07.11.2025 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर 2025 को होने वाली बैठक हेतु अनन्तिम कार्यसूची:-

मा.सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य निर्देश (7.11.2025)

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों और राजमार्गों पर आवारा मवेशियों के प्रबंधन को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

भाग I: अनुपालन और एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट

पूर्व में दाखिल किये गये प्रति-शपथपत्र में एमिकस क्यूरी द्वारा दर्शायी गयी कमियों का निराकरण किया जाना।

भाग II: राजमार्गों पर आवारा मवेशी और पशु

यह भाग राष्ट्रीय राजमार्गों (NH), राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाने से संबंधित है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के बिन्दु	विवरण	
10 A	पशुओं को हटाना अनिवार्यः सभी नगर प्राधिकरणों, सड़क और परिवहन विभागों/ PWD और NHAI को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करना होगा।	
10 B	संयुक्त अभियान और आश्रयः संबंधित प्राधिकरणों को संयुक्त रूप से पहचान ।कए गए हस्सा स आवारा पशुआ का हटाकर नधारत आश्रया, गौशालाओं/कैटल पाउंड में स्थानांतरित करना होगा।	
10 C	गश्ती दल (पेट्रोल टीम): प्रत्येक प्राधिकरण 24x7 निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए समर्पित राजमार्ग गश्ती दल का गठन करेगा।	
10 D	हेल्पलाइन नंबरः सभी राजमार्गों पर नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।	
10 E	व्यक्तिगत जवाबदेहीः मुख्य सचिव (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) और NHAI अध्यक्ष को चूक या आवर्ती घटनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराना होगा।	
10 F	अनुपालन की समय सीमा: चीफ सेक्रेटरी, NHAI अध्यक्ष और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 08 सप्ताह के भीतर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करना होगा।	

भाग III: संस्थागत क्षेत्रों में अवारा कुत्तों का प्रबंधन

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का विन्दु	निर्देशित विंदु	कार्यान्वयन संस्था	कार्य	समय सीमा
25 A	संस्थानों की पहचान	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय/ नगर निकाय प्राधिकरण	सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों/डिपो और रेलवे स्टेशनों की पहचान करें।	2 सप्ताह
25 B	परिसर को सुरक्षित करना	संस्थागत प्रमुख, जिलाधिकारी की देखरेख में	आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर को पर्याप्त बाड़, चारदीवारी और गेट से सुरक्षित करें।	अधिमानतः 8 सप्ताह
25 C	नोडल	प्रत्येक संस्थान का	परिसर की स्वच्छता और आवारा कुत्तों के	तत्काल

	अधिकारी	प्रबंधन	प्रवेश को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें। नोडल अधिकारी का नाम सम्पर्क नंम्बर आगमन के मुख्य स्थानों पर प्रदार्शित किया जाये।	
25 D	नियमित निरीक्षण	स्थानीय नगर निकाय और पंचायते	यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आवारा कुत्तों का आवास न हो, हर तीन महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करें।	नियमित रूप से
25 E	आवारा कुत्तों को हटाना	न्यायक्षेत्रीय नगर निकाय/प्राधिकरण	परिसर के भीतर पाए गए प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाएं और उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्धारित आश्रय में स्थानांरित करें।	तत्काल
25 E	वापस नही छोडना	न्याय क्षेत्रीय नगर निकाय/प्राधिकरण	हटाए गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।	--
25 F	वैक्सीन स्टॉफ	सभी सरकारी और निजी अस्पताल	हर समय एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक बनाए रखें।	हर समय
25 G	जागरूकता सत्र	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	छात्रों और कर्मचारियों के लिए पशुओं के आसपास निवारक व्यवहार और प्रथम-उपचार पर जागरूकता सत्र आयोजित करें।	नियमित रूप से
25 H	गाउड किपिंग कार्मिकों की तैनाती	खेल विभाग	स्टेडियम और खेल परिसरों में गाउण्ड किपिंग कार्मिकों की तैनाती की जाये जिन्हे विशेष रूप से आवारा कुत्तों के प्रवेश या निवाश के संबंध में 24 घण्डे निगरानी का काम सौपा जाये।	
25 J	एसओपी (SOPs)	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड	संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और प्रबंधन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी करें।	4 सप्ताह
28 (1)		दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र में इन बिन्दुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना होगा।	शैक्षिणिक संस्थानों अस्पतालों खेल परिसरों बस स्टैंड (अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों सहित) और रेलवे स्टेशनों के परिसरो को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदम	8 सप्ताह
28 (ii)			नगर पालिका प्राधिकारियों/पंचायती राज संस्थाओं के साथ नियमित निरीक्षण, समन्वय और रिपोर्टिंग मैकेनिजम स्थापित किया गया।	
28 (iii)			सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके और इम्यूनोग्लोबुलिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	
31			नगर विकास विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग को भी पछकार बनाया गया है।	
32			उपरोक्त किसी बिन्दुओं का अनुपालन न होने की दशा में गंभीर दण्ड/परिणाम भुगतने पड़ सकते है दोषी अधिकारियों के विरूद्ध स्वत: अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।	

	अधिकारी	प्रबंधन	प्रवेश को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें। नोडल अधिकारी का नाम सम्पर्क नम्बर परिसर आगमन के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाये।	
25 D	नियमित निरीक्षण	स्थानीय नगर निकाय और पंचायते	यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आवारा कुत्तों का आवास ऐसे संस्थानों अथवा आस पास न हो, हर तीन महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करें।	नियमित रूप से
25 E	आवारा कुत्तों को हटाना	न्यायक्षेत्रीय नगर निकाय/प्राधिकरण	परिसर के भीतर पाए गए प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाएं और उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्धारित श्वान आश्रय स्थल में स्थानांरित करें।	तत्काल
25 E	वापस नही छोडना	न्याय क्षेत्रीय नगर निकाय/प्राधिकरण	हटाए गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर जहाँ से पकड़े गये हो, वापस नहीं छोड़ा जाएगा।	--
25 F	वैक्सीन स्टॉफ	सभी सरकारी और निजी अस्पताल	हर समय एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक बनाए रखें।	हर समय
25 G	जागरूकता सत्र	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	छात्रों और कर्मचारियों के लिए पशुओं के आसपास निवारक व्यवहार और प्रथम-उपचार पर जागरूकता सत्र आयोजित करें।	नियमित रूप से
25 H	गाउड किपिंग कार्मिकों की तैनाती	खेल विभाग	स्टेडियम और खेल परिसरों में ग्राउण्ड किपिंग कार्मिकों की तैनाती की जाये जिन्हे विशेष रूप से आवारा कुत्तों के प्रवेश या इनके निवास के संबंध में 24 घण्टे निगरानी का काम सौपा जाये।	
25 J	एसओपी (SOPs)	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड	संस्थागत परिसरों में कुत्ते के काटने की रोकथाम और प्रबंधन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी करें।	4 सप्ताह
28 (1)		दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र में इन बिन्दुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना होगा ।	शैक्षिणिक संस्थानों अस्पतालों खेल परिसरों बस स्टैंड (अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों सहित) और रेलवे स्टेशनों के परिसरो को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदम	8 सप्ताह
28 (ii)			नगर पालिका प्राधिकारियों/पंचायती राज संस्थाओं के साथ नियमित निरीक्षण, समन्वय और रिपोर्टिंग मैकेनिजम स्थापित किया जाये।	
28 (iii)			सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके और इम्यूनोग्लोबुलिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	
31			नगर विकास विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग को भी पछकार बनाया गया है।	
32			उपरोक्त किसी बिन्दुओं का अनुपालन न होने की दशा में गंभीर दण्ड/परिणाम भुगतने पड़ सकते है दोषी अधिकारियों के विरूद्ध स्वतः अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।	

अतिरिक्त एजेण्डा

1. सभी स्थानीय निकायों द्वारा अनुपयोगी/निराश्रित गौवंश के आवास हेतु संचालित गौशालाओं की उपलब्ध अवसंरचना, मानव-बल एवं धारण क्षमता (Infrastructure Man Power Carrying Capacity) की समीक्षा ।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से गौवंश को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के लिए एक चरणवार कार्ययोजना तथा इस हेतु आवश्यक नीति-हस्तक्षेपों (Policy Intervention) पर विचार-विमर्श।

3. हेल्पलाइन की स्थापना, 24×7 राजमार्ग पेट्रोल दलों के गठन एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप मानक-सम्पन्न गौशालाओं/आश्रय-गृहों के सृजन से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श।

4. माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले सभी परिसरों - सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी एवं निजी खेल संस्थान, सरकारी एवं निजी चिकित्सीय संस्थान, बस डिपो एवं बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन - की विस्तृत सूची का परीक्षण एवं समीक्षा।

5. उक्त संस्थानों में परिधि-दीवारों (Perimeter Wall) की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा तथा श्वानों के प्रवेश को रोकने हेतु परिधि-दीवारों तथा गेट के निर्माण/मरम्मत की अनुमानित लागत पर विचार।

6. सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध एण्टी-रेबीज़ वैक्सीन के भण्डार एवं उसकी नियमित उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा।

7. समस्त नगर निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए समस्त कार्यों की समीक्षा - आधारभूत ढांचे, कार्यदायी संस्था तथा मासिक कार्य-प्रगति पर चर्चा।

8. श्वानों के प्रबंधन एवं विधिवत ए.बी.सी. कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित मानव-बल का अभाव न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश-व्यापी स्तर पर एक प्रमुख बाधा है, अतः लखनऊ स्थित ए.बी.सी. प्रशिक्षण केन्द्र की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा राज्य की अधिकाधिक संस्थाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श।

9. राज्य अथवा स्थानीय निकायों द्वारा श्वानों के आजीवन देखभाल हेतु संचालित आश्रय-गृहों के अभाव की स्थिति में, ऐसे संस्थानों की स्थापना एवं संचालन से सम्बद्ध दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों पर विस्तृत विचार-विमर्श।

10. संस्थागत परिसरों, रेलवे स्टेशनों में विद्यमान श्वानों की संख्या तथा परिधि-दीवार आदि के अभाव में उनके तत्काल हटाए जाने की व्यवहार्यता पर विचार।